



(राज्य बागवानी मिशन)



राज्य के सभी जिलों में बागवानी मिशन कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इसके अन्तर्गत बागवानी विकास के लिये कतिपय परियोजना आधारित कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे हैं। इन परियोजना आधारित कार्यक्रमों के त्वरित क्रियान्वयन हेतु मुख्यालय स्तर पर प्रस्ताव प्राप्त किया जाना है।

किसान भाई/उद्यमी निम्नांकित कार्यक्रमों का लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र परियोजना प्रस्ताव के साथ मिशन निदेशक, राज्य बागवानी मिशन, बैरक सं०-13, पुराना सचिवालय परिसर, पटना को दिनांक 05.12.2011 तक हाथोंहाथ अथवा निबंधित डाक से उपलब्ध करा सकते हैं। यदि किसान भाई/उद्यमी पूर्व में भी आवेदन पत्र जिला कार्यालय अथवा अन्य कार्यालय में दिये हों तथा कार्यादेश निर्गत नहीं किया गया हो तो वे भी इसके तहत आवेदन देने हेतु पात्र होंगे।

विदित हो कि सभी अवयवों पर सहायतानुदान की विमुक्ति आधारभूत संरचना के पूर्ण होने के पश्चात् मुख्यालय द्वारा गठित निरीक्षण दल के भौतिक सत्यापन के आधार पर की जायेगी।

उपर्युक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

क्र० सं०	कार्यक्रम का नाम	भौतिक (सं०)	लागत व्यय प्रति इकाई (राशि लाख रू० में)	सहायतानुदान प्रति इकाई (राशि लाख रू० में)	आवेदन पत्र के साथ संलग्न कागजात
1	आर्दश नर्सरी (4 हे०)	1	25.00	12.50	(क) परियोजना प्रस्ताव ले आउट प्लान सहित। (ख) भूमि-स्वामित्व प्रमाण-पत्र। (ग) परियोजना हेतु यदि ऋण प्राप्त किया जाना हो तो बैंक का ऋण स्वीकृति संबंधी सहमति पत्र। (घ) प्लान्ट एवं मशीनरी यदि कोई हो तो उसका कोटेशन।
2	टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना	1	100.00	50.00	
3	जैव नियंत्रण प्रयोगशाला	1	80.00	40.00	
4	मशरूम की समन्वित इकाई	5	50.00	45.00	
5	मशरूम स्पॉन इकाई	6	15.00	13.50	
6	मशरूम कम्पोस्ट इकाई	3	20.00	18.00	
7	पैक हाउस	20	3.00	2.70	
8	डिस्टिलेशन यूनिट	50	5.00	4.50	
9	ग्रामीण बाजार/अपनी मंडी/प्रत्यक्ष बाजार	12	20.00	18.00	

मिशन निदेशक,
राज्य बागवानी मिशन, बिहार।

संपर्क सूत्र -

मिशन निदेशक, बिहार बागवानी विकास सोसायटी, पटना, बैरक संख्या - 13,
मुख्य सचिवालय परिसर, पटना - 800015, फोन - 0612-2215215
E- mail : dir-bhds-bih@nic.in; website - www.horticulture.bih.nic.in